कार्यालय, जिलाशिक्षा अधीक्षक, गोड्डा ।

आवश्यक सूचना

जिला के सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा संबंधित शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि युक्तिकरण के तहत पूर्व में शिक्षकों के नाम/ शैक्षणिक कोटि/ नियुक्ति तिथि/ योगदान तिथि एवं वर्त्तमान विद्यालय मेंपदस्थापन तिथि में आंशिक त्रुटि में सुधार हेतु दिनांक 03.10.2018 से 05.10.2018 तक आपत्ति की मांग की गई थी । विभिन्न प्रखंडों से प्राप्त आपत्ति का निराकरण दिनांक 08.10.2018 को संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/ प्रखंड के प्रधानाध्यापक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा त्रुटियों का निराकरण कर कोषांग द्वारा अंतिम सूची तैयार कर ली गई है ।

निदेशानुसार अतिरिक्त सरकारी शिक्षक एवं रिक्ति के संबंध में समीक्षा करते हुए अतिरिक्त शिक्षकों को कोषांग द्वारा कर्णांकित किया गया है । उक्त सूची को जारी करते हुए निदेश दिया जाता है दिनांक 10.10.2018 के अपराह्न 03:00 बजे तक उक्त के संबंध में विकास भवन स्थित कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अधिकरण, गोड्डा में गठित दावा/आपत्ति कोषांग में अपना दावा/आपत्ति स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे अथवा teacherobjection@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से भी दावा/आपत्ति दे सकेंगे। उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा ।

पुनश्चय: उक्त के आलोक में दिनांक 11.10.2018 को प्रखंड-गोड्डा, बसंतराय, पोड़ैयाहाट एवं सुन्दरपहाड़ी के अतिरेक (Surplus) शिक्षक/शिक्षिकाओं को रिक्ति के विरूद्ध अधीक्षा (Counciling) हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा के सभागार में निम्नांकित समयानुसार उपस्थित होना सुनिश्चित करें ।

समय-सारनिम्नवतहै :-

क्रमांक	प्रखंड	तिथि	समय	अभ्युक्ति
1	गोड्डा	11.10.2018	10:00-12:00	
2	बसंतराय	11.10.2018	12:00-01:00	
3	पोड़ैयाहाट	11.10.2018	01:00-02:00	
4	सुन्दरपहाड़ी	11.10.2018	03:00-04:00	

जिला शिक्षा अधीक्षक,
गोड्डा ।

D:\Mayank-07\ NOTICE 09.10.2018

Scanned by CamScanner